

प्रकरण क्रमांक 164/17 एम.जे.सी.

03.01.2018

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।

आरोपी की ओर से श्री गंभीर सिंह अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि जमा करने बावत् प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया है। विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकर कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विशेष विद्युत सत्रवाद क्रमांक 157/06 की अपील क्रमांक 756/10 में पारित आदेश दिनांक 09.12.17 के पालन में आरोपी सरनाम सिंह द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अर्थदण्ड की राशि रुपये 1500/- जमा किये जो रसीद क्रमांक 83 पर जमा कर उसे रसीद दी गई। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर एवं परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद